3/2026/

संख्या:284/ई-1/तेरह-2026-2027652/2026

प्रेषक,

दयाराम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 19 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-68/एक-4/अनुदान/2025-26, दिनांक 19.02.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर-001-निर्देशत एवं प्रशासन के अनतर्गत विभिनन मदों में धनराशि रु.1619.56 लाख (रुपया सोलह करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार मात्र) संलग्न पुनर्विनियोग आदेश आर.ई. संख्या-466, दिनांक 11.03.2026 के अनुसार पुनर्विनियोजित कर स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जाएगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रश्नगत पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

4. इस संबंध में समस्त औपचारिकतायें एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by DAYARAM
Date: 19-03-2026 14:22:22

(दयाराम)
उप सचिव।

3/2026/

संख्या:284(1) ई-1/तेरह-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, उ.प्र., प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाराम)
उप सचिव।

बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन।

(बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम:001 आबकारी विभाग

वित्तीय वर्ष 2025-26 (धनराशि लाख रू. में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
1	2	3	4	5	6
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**
2039-00-001-03-01 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण- 01-वेतन	3779.20	400.00	400.00	400.00	3379.20
2039-00-001-03-03 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-03-मंहगाई भत्ता	2317.52	158.56	158.56	158.56	2158.96
2039-00-001-03-10 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण- 10-जलकर/जलप्रभार	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2039-00-001-03-17 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व	215.00	21.00	21.00	21.00	194.00
2039-00-001-03-55 2 039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा	350.00	20.00	20.00	20.00	330.00

प्रशासन,03 अधीक्षण-55-मकान किराया भता					
2039-00-001-04-19 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन,04 जिला कार्यकारी अधिष्ठान-19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	500.00	200.00	200.00	200.00	300.00
2039-00-001-05-01 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया-01-वेतन	21188.94	500.00	500.00	500.00	20688.94
2039-00-001-05-03 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया-03-मंहगाई भता	12013.36	300.00	300.00	300.00	11713.36
योग	**40404.02**	**1619.56**	**1619.56**	**1619.56**	**38784.46**

(धनराशि लाख रू.में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण	**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**				
7	8	9	10	11	12
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**

2039-00-001-0302 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03अधीक्षण-02-मजदूरी	10.00	10.56	0.56	0.56	10.56
2039-00-001-03 15 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	140.00	150.00	10.00	10.00	150.00
2039-00-001-03-47 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-47-कम्पयूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00	43.20	23.20	23.20	43.20
2039-00-001-03-49 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-49-चिकित्सा व्यय	40.00	52.00	12.00	12.00	52.00
2039-00-001-05-05 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया-05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50.00	89.00	39.00	39.00	89.00
2039-00-001-05-10	15.00	68.00	53.00	53.00	68.00

2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन,05 भठिठया-10-जलकर/जल प्रभार					
2039-00-001-05-15 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1500.00	1695.00	195.00	195.00	1695.00
2039-00-001-05-17 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन,05 भठिठया-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व	8.00	29.00	21.00	21.00	29.00
2039-00-001-05-47 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया-47-कम्पयूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00	30.80	10.80	10.80	30.80
2039-00-001-05-49 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन,05 भठिठया-49-चिकित्सा व्यय	225.00	490.00	265.00	265.00	490.00

2039-00-001-06-16 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन,06- कम्प्युटरीकरण एवं आनलाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान व्यय	11250.00	12240.00	990.00	990.00	12240.00
योग	**13278.00**	**14897.56**	**1619.56**	**1619.56**	**14897.56**

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

   2039-उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधीक्षण-01-वेतन मद में रू.400.0 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन एवं प्रशासन, 03 अधीक्षण-03-मंहगाई भत्ता में रू. 158.56 लाख 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधीक्षण-10- जलकर/जलप्रभार में रू0 20.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-17- किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व में रु0 21.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-55 मकान किराया भत्ता में रु0 20.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 04 जिला कार्यकारी अधिष्ठान-19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय मे रु० 200.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया-01-वेतन में रू० 500.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 भठिठयां 03-मंहगाई भत्ता में रू0 300.00 लाख, सहित कुल रू0 1619.56 लाख बचत हो रही है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

   2039-उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-02-मजदूरी पर व्यय में रू0 0.56 लाख, 2039-उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि का खरीद पर व्यय में रू0 10.00 लाख, 2039-उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय में रू0 23.20 लाख, 2039-उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधीक्षण-49-चिकित्सा व्यय पर व्यय में रू० 12.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया-05-स्थानान्तरण भत्ता पर व्यय में रु0 39.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठ्या 10 जलकर जलप्रभार पर व्यय में रू0 53.00

लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया 15 गाड़ियों और पेट्रोल आदि की खरीद पर व्यय पर व्यय में रू0 195.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठ्या-17- किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व पर व्यय पर व्यय में रू0 21.00 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठया-47-कम्पयूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय पर व्यय में रू0 10.80 लाख, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 05 भठिठ्या-49-चिकित्सा व्यय पर व्यय में रू0 265.00 लाख एवं 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 06-कम्प्युटरीकरण एवं आनलाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना, 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान व्यय पर व्यय में रु0 990.00 लाख का अतिरिक्त व्यय सम्भावित है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(दयाराम)
उप सचिव,
आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
आर.ई.संख्या-466 दिनांक 11.03.2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक, वित्त विभाग,
उ.प्र. शासन।

B/2026/284

संख्या: (1)ई-1/तेरह-2026, तद्दिनांक।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ.प्र., प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9
5. वित्त आय व्ययक अनुभाग-1
6. गार्ड फाईल।

(दयाराम)
उप सचिव,